"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2005—श्रावण 8, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-51/2004/42.—राज्य शासन, चिकित्सा आयुर्वेद, इंजीनियरिंग तथा कृषि महाविद्यालयों में तथा पॉलीटेकनिक्स में प्रवेश पूर्व परीक्षाओं या अन्य परीक्षा जिसे इस मण्डल के क्षेत्राधिकार के लिए अधिकृत किया जावे के आयोजन एवं तत्संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं व्यवस्था करने के लिए एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल" का गठन करता है.

2. उपर्युक्त मण्डल में अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे. इसके साथ ही आवश्यक संख्या में सदस्यों/पदेन सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश भी पृथक से जारी किये जायेंगे.

3. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल राज्य शासन के सचिवालयीन विभाग शिक्षा के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति प्रशासकीय विभाग के अधीन कार्य करेगा. राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह मण्डल को अपने कार्य संचालन के संबंध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सके. राज्य शासन को यह अधिकार भी होगा कि वह मण्डल के कार्य संचालन के लिए नियम बना सके.

4. मण्डल स्वत: एक इकाई होगा और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने का अधिकार प्राप्त होगा. मण्डल अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और इसी नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किये जावेंगे.

5. मण्डल द्वारा किये गये अथवा करने से छोड़ दिये गये किसी कार्य के लिए राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.

6. मण्डल अपने नाम का खाता खोलेगा. वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन से बंटवारे में प्राप्त सम्पदा एवं दायित्व मण्डल को हस्तान्तरित हो जावेंगे.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-51/2004/42.—चिकित्सा, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग तथा कृषि महाविद्यालयों में तथा पॉलिटेकनिक्स में प्रवेश पूर्व परीक्षाओं या अन्य परीक्षा, जिसके लिये राज्य शासन द्वारा अधिकृत किया जाये, के आयोजन एवं तत्संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं व्यवस्था करने के लिए समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-7-05 द्वारा "छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल" का गठन किया जा चुका है.

2. उपर्युक्त मण्डल में निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे :-

(1)	अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल	अध्यक्ष
(2)	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
(3)	सचिव, वित्त एवं योजना विभाग	सदस्य
(4)	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल	सदस्य
(5)	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
(6)	संचालक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
(7)	संचालक, कृषि	सदस्य
(8)	डीन, मेडिकल कालेज, रायपुर	सदस्य
(9)	डीन, कृषि महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य
(10)	प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य
(11)	प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर	सदस्य
(12)	प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग	सदस्य
(13)	डीन, आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य

3. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के गठन आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित होने वाली पी. ई. टी. एवं पी. एम. टी. आदि परीक्षायें समाप्त हो जायेंगी. "छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल" चिकित्सा, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, कृषि महाविद्यालयों, पॉलीटेकनिक्स में प्रवेश पूर्व परीक्षा या अन्य कोई परीक्षा (जिसे इस मण्डल के क्षेत्राधिकार के लिए अधिकृत किया जायेगा) को सम्पन्न कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारियों को निर्वहन करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. व्ही. प्रसाद, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.